

प्रस्ताव हेतु अनुरोध

आरएफपी संदर्भ सं. : रा.आ.बैंक/आरओडी/आरएफपी-इक्विटी मूल्यांकन/2018

आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) एवं अन्य संस्थानों के इक्विटी मूल्यांकन हेतु  
मर्चेन्ट बैंकर की नियुक्ति



पुनर्वित्त परिचालन विभाग  
राष्ट्रीय आवास बैंक - मुख्यालय  
कोर 5ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केन्द्र  
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

यह पृष्ठ खाली छोड़ा गया है।

## अनुक्रमणिका

पृष्ठ सं.

<b>1</b>	<b>आरएफपी – आवश्यक सूचना</b>	<b>4</b>
1.1	उद्देश्य	4
1.2	समय सीमा	4
1.3	बोली आमंत्रण	5
<b>2</b>	<b>पृष्ठभूमि की जानकारी</b>	<b>5</b>
2.1	राष्ट्रीय आवास बैंक	5
2.2	पृष्ठभूमि – रा.आ.बैंक द्वारा इक्विटी सहायता	6
2.3	कार्य क्षेत्र	7
<b>3</b>	<b>बोलीदाताओं के लिए अनुदेश</b>	<b>9</b>
3.1	सामान्य	9
3.2	अनुवर्ती बोली/संपूर्ण प्रत्युत्तर	13
3.3	बोली पूर्व बैठक एवं स्पष्टीकरण	13
3.4	बोली की मुख्य अपेक्षाएं	15
3.5	प्रच्छादित वाणिज्यिक बोली	15
3.6	स्थान/मात्रा में सुधार करने का अधिकार	16
3.7	बोली की मुख्य अपेक्षाएं	16
3.8	बोलियों में व्यतिक्रम/संशोधन/वापसी	20
<b>4</b>	<b>मूल्यांकन प्रक्रिया</b>	<b>21</b>
4.1	मूल्यांकन समिति	21
4.2	मूल्यांकन के लिए मानदंड	22
4.3	तकनीकी अहर्ता/पात्रता का मानदंड	22
4.4	प्रस्तावों का मूल्यांकन	23
4.5	वाणिज्यिक बोली का मूल्यांकन	26
4.6	सेवाओं के लिए नियुक्ति	27
4.7	धोखाधड़ी व कपटपूर्ण आचरण	28
4.8	हितों का टकराव	29
4.9	वाणिज्यिक निबंधन शर्तें	30

## 1 आरएफपी – आवश्यक सूचना

### 1.1 उद्देश्य

राष्ट्रीय आवास बैंक (यहां बाद में रा.आ.बैंक के रूप में संदर्भित किया गया है) उन विभिन्न कंपनियों/ संस्थानों के शेयरों के मूल्यांकन में जहां रा.आ.बैंक के ऐसी कंपनियों/ संस्थानों की शेयर पूंजी में इक्विटी शेयर है, मर्चेट बैंकर्स से रा.आ.बैंक को सेवाएं प्रदान करने हेतु बोली आमंत्रित (तकनीकी एवं वित्तीय) करता है।

**1.1.1** रा.आ.बैंक का उद्देश्य पारदर्शी तरीके से अपने शेयरों के उचित मूल्य तक पहुंचने के परिप्रेक्ष्य से कंपनियों/ संस्थानों में शेयरों का मूल्यांकन करने के लिए मर्चेट बैंक की सेवाएं प्राप्त करना है।

**1.1.2** रा.आ.बैंक 'दो-बोली प्रणाली' के तहत तथा इस आरएफपी में विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार इस प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) के लिए प्रतिक्रिया करने वालों में से तथा इस आरएफपी में उल्लिखित ब्योरे के अनुसार एक या अधिक या सभी क्षेत्रों के निष्पादन हेतु एक मर्चेट बैंकर का चयन करेगा।

### 1.2 समय सीमा

क्रम सं.	विवरण	तिथि
क.	आरएफपी निर्गम तिथि	03 मई, 2018
ख.	आरएफपी समन्वयक	रंजन कुमार बरुन, उप महाप्रबंधक
ग.	टेलीफोन/ मोबाइल	लैंडलाइन 011-3918 7043 मोबाइल +91 9717691296
घ.	ईमेल आईडी	ranjan.barun@nhb.org.in
ङ.	प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण हेतु पता (स्थान)	राष्ट्रीय आवास बैंक चतुर्थ तल, कोर 5ए, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
च.	रा.आ.बैंक द्वारा आयोजित की जाने वाली पूर्व-बोली बैठक	21 मई, 2018 को 11.30 बजे
छ.	आवेदन राशि	10,000/- रुपए (दस हजार रुपए मात्र)
ज.	रा.आ.बैंक, मुख्यालय को 50,000 रु. (पचास हजार रुपए मात्र) की बयाना जमा राशि के साथ भेजी जाने वाली बोली	28 मई, 2018 को 17.00 बजे

झ.	रा.आ.बैंक, मुख्यालय पर तकनीकी बोली खोलना	01 जून, 2018 को 11.30 बजे
ञ.	रा.आ.बैंक, मुख्यालय पर वाणिज्यिक बोली खोलना	घोषित की जानी है।
ट.	बोली हेतु वैधता अवधि	30 जून, 2019 तक

नोट: आरएफपी, निविदा शब्द एक-दूसरे के साथ उपयोग किए गए हैं तथा उसे इस आरएफपी दस्तावेज के उद्देश्य हेतु एक ही माना जाएगा। सभी स्पष्टीकरण, संशोधन, रूपांतरण, अनुपूरक आरएफपी जो इस आरएफपी के संबंध में जारी किए जा सकते हैं, उन्हें आरएफपी के अनिवार्य भाग के रूप में समझा जाएगा तथा साथ में आरएफपी दस्तावेज का गठन किया जाएगा।

### 1.3 बोली आमंत्रण

- क. रा.आ.बैंक इस प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) के लिए मर्चेन्ट बैंकर (“बोलीदाता”) से बोली (“प्रस्ताव”) आमंत्रित करता है जिसमें रा.आ.बैंक को इक्विटी शेयर के मूल्यांकन में सेवाएं प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट/कंपनी/फर्म/एजेंसी आदि शामिल है जहां इस आरएफपी, “कार्य क्षेत्र” (“सेवाएं”) के अनुच्छेद 2.3.1 के अनुसार रा.आ.बैंक के इक्विटी शेयर पूंजी में शेयर है।
- ख. यह समझा जाएगा कि बोली/प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण इस आरएफपी दस्तावेज के सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं जांच के बाद इसके निहितार्थ को पूरी तरह समझकर किया गया।
- ग. इस आरएफपी के परिणामस्वरूप कोई संविदा, एक वर्ष (12 महीने) की अवधि (“अवधि”) के लिए वैध होगी।
- घ. रा.आ.बैंक अवधि को उसी नियम एवं शर्तों पर अधिकतम एक बार विस्तारण के साथ छः महीने की अवधि के लिए बढ़ाने का अधिकार रखता है।
- ङ. उपर्युक्त अनुच्छेद 1.2 में उल्लिखित स्थान पर निर्धारित समय एवं तिथि से पहले प्रस्ताव प्राप्त हो जाने चाहिए।
- च. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

## 2 पृष्ठभूमि की जानकारी

### 2.1 राष्ट्रीय आवास बैंक

- 2.1.1 राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम नामतः राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत की गई है। रा.आ.बैंक के मुख्य कार्यों में संवर्धन एवं विकास, वित्त पोषण, तथा आवास वित्त कंपनियों का विनियमन एवं पर्यवेक्षण शामिल होंगे।

**2.1.2** राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है—

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 के तहत व्युत्पन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

**2.1.3** रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः नई दिल्ली और मुम्बई में स्थित है। इसके अतिरिक्त, इसके प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलूरु, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद तथा कोलकाता में स्थित है।

## **2.2** पृष्ठभूमि – रा.आ.बैंक द्वारा इक्विटी सहायता

**2.2.1** रा.आ.बैंक, देश में आवास वित्त क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास हेतु इसके अधिदेश के भाग के रूप में आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं) / संस्थानों को इक्विटी सहायता प्रदान करता है। 1980 के बाद तथा 1990 से पहले, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में अनेकों आ.वि.कं. को इक्विटी सहायता प्रदान की गई थी। उनमें से कुछ आ.वि.कं. को उनके मूल संस्थानों (कॉर्पोरेट होम फाइनेंस लिमिटेड को कॉर्पोरेशन के साथ, विबैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को विजया बैंक के साथ, आदि) के साथ मिला दिया गया जबकि अन्य के मामले में, संस्थानों के विकसित हो जाने के बाद (केन फिन होम्स लिमिटेड, गृह फाइनेंस लिमिटेड, आदि) रा.आ.बैंक धीरे-धीरे बाहर हो जाता है।

**2.2.2** पिछले दो दशकों में देश में आवास वित्त बाजार में बेहतर वृद्धि देखी गई है जिसका परिणाम एक विकसित एवं व्यवसायिक क्षेत्र है। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ ही आबादी के असेवित एवं अनुपयुक्त वर्ग से संबंधित लोगों को शामिल करने के लिए संस्थागत आवास

वित्त के नेटवर्क में सुधार करने की कार्यनीतियों पर ध्यान केन्द्रित करता है। इन कार्यनीतियों में मौजूदा संस्थानों की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ लक्षित वर्ग हेतु नए संस्थानों की स्थापना शामिल है।

**2.2.3** हाल के वर्षों के दौरान, बाजार में कई नई आ.वि.कं. उभरी है। इनमें से अधिकांश इकाईयां आवास संस्थान है जो किराया पर फोकस के साथ बाजार के विशिष्ट वर्ग को सेवाएं प्रदान करती है। हालांकि, जिन वर्गों में ये संस्थान संचालित है/ संचालन करने के इच्छुक है, वे मुख्यतः अपरीक्षित बाजार है, ये नई आ.वि.कं. अपने शुरूआती वर्षों में अपनी कार्यपद्धति के लगभग सभी पहलुओं में अनेकों समस्याओं का सामना कर रही है जैसे व्यवसाय मॉडल को परिभाषित करना तथा व्यवसाय प्रक्रियाओं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विनियामक अनुपालन, वित्त पोषण, वित्त प्रबंधन, मानव संसाधन मुद्दे से संबंधित मुद्दों का अटेंडेंटा।

**2.2.4** ग्रामीण विकास, निम्न आय आवास, आदि जैसे विकासशील एवं आवास क्षेत्रों में संचालित नई आ.वि.कं. हेतु रा.आ.बैंक से इक्विटी सहायता इन संस्थानों की विकसित बाजार प्रतिभागी बनने में सहायता करेगी। रा.आ.बैंक की इक्विटी कुछ इस प्रकार से नई आ.वि.कं. की सहायता कर सकती है:

- रा.आ.बैंक की इक्विटी सहभागिता से, वित्तीय संस्थानों तथा वाणिज्यिक बैंकों की आ.वि.कं. को उधार देने में सहायता मिलेगी। इस कारण आ.वि.कं. न केवल वित्त पोषण के विभिन्न माध्यमों तक पहुंच पाएगी, बल्कि अपनी क्रेडिट रेटिंग को सुधारने तथा उसके द्वारा वित्त पोषण की संपूर्ण लागत कम करने में भी समर्थ होगी।
- आ.वि.कं. रा.आ.बैंक के साथ निवेशक/ प्रवर्तक के रूप में तथा आ.वि.कं. के बोर्ड में पद होने के नाते, आ.वि.कं. में निवेश हेतु भावी निवेशकों को आकृष्ट कर पाएगी, जिसके द्वारा अपनी इक्विटी पूंजी आधार का विस्तार करेगी।

**2.2.5** रा.आ.बैंक ने अन्य संस्थानों के इक्विटी में भी भाग लिया जो क्षेत्र के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में, रा.आ.बैंक की निम्नलिखित संस्थानों में इक्विटी सहभागिता है:

- सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (सीबीएचएफएल)
- महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एमआरएचएफएल)
- सेवा गृह ऋण लिमिटेड (एसजीआरएल)
- भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री (सरसाई)
- तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन लि. (टीएनआईएफएमसीएल)
- इंडियन मोर्टगेज गारंटी कॉर्पोरेशन (आईएमजीसी)

## 2.3 कार्य क्षेत्र

**2.3.1** कार्य क्षेत्र को मुख्यतः निम्नलिखित को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है –

- क.** इक्विटी मूल्यांकन / एम एंड ए हेतु वित्तीय बाजार में उपयोग किए जाने वाले सभी मौजूदा एवं निर्धारित तरीकों/मॉडल को अपनाकर अनुच्छेद 2.2.5 में उल्लिखित संस्थानों/कंपनियों में शेयर का मूल्यांकन करना। संविदा की वैधता के दौरान, कोई नई संस्था जुड़ने के मामले में, अनुच्छेद 2.2.5 में उल्लिखित संस्थानों/कंपनियों में शेयर का मूल्यांकन की औसत दर पर रा.आ.बैंक और संस्थान की आपसी सहमति से कीमत निर्धारित की जाएगी।
- ख.** सेबी/भा.रि.बैंक/रा.आ.बैंक/भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रियाओं का पालन करना।
- ग.** मूल्यांकन व्याख्यात्मक वित्तीय अनुमानों तथा कंपनियों एवं अन्य संस्थानों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर होना चाहिए। अनुमान, व्यवसाय योजना/ कंपनी/संस्थान के लक्ष्यों के अनुसार धारणाओं के आधार पर संभावित मूल्यांकन को प्रस्तुत करेगा।
- 2.3.2** कार्य की संपूर्ण अवधि के दौरान अनुच्छेद 2.3.1 (कार्य क्षेत्र) के तहत प्रस्तावित प्रदेय को चालू आधार पर किया जाएगा।
- 2.3.3** रा.आ.बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता  
रा.आ.बैंक सफल बोलीदाता को संविदा कार्य सौंपने के बाद, स्थिति, संबंधित पृष्ठभूमि की जानकारी, दस्तावेजीकरण तथा उपलब्ध वित्तीयन की समझ तथा परियोजना की सहायता में बोलीदाता की वांछित पहुंच हेतु सहायता प्रदान करेगा।
- 2.3.4** यह आरएफपी मर्चेट बैंकर/ बोलीदाता हेतु उत्तरदायी कार्यों, गतिविधियों, जिम्मेदारियों की व्याख्या करने में पूर्ण नहीं है। इस निविदा में सहभागिता द्वारा बोलीदाता निःसंदेह यह सुनिश्चित करता है कि यदि कोई कार्य, गतिविधियां, जिम्मेदारियां या सेवाएं या तो इस आरएफपी में विशेष रूप से वर्णित नहीं की गई है या विशेष रूप से वर्णित की गई है लेकिन उसमें विनियामक बदलावों के कारण तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा उन्हें आवश्यक या उचित कहे जाने के कारण उपयुक्त बदलाव/संशोधन किए जाने है, ऐसे कार्य, गतिविधियां, जिम्मेदारियां या सेवाओं का (यदि कोई लागू बदलाव हो, तो उसके साथ) निहित होना समझा जाएगा तथा इस आरएफपी के तहत सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और बोलीदाता की प्रतिक्रिया उसी सीमा तक तथा उसी तरीके से जैसे इस आरएफपी और बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से वर्णित किया गया है।

### 3 बोलीदाताओं के लिए अनुदेश

#### 3.1 सामान्य

**3.1.1** निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर उपलब्ध कराई जाएगी।

**3.1.2** बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे इस आरएफपी दस्तावेज के सभी अनुदेशों, प्रपत्रों, अनुलग्नकों, अपेक्षाओं, निबंधनों एवं अन्य सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।

क. बोलीदाता द्वारा प्रत्युत्तरों का विवरण, तैयारी एवं प्रस्तुति से किसी भी तरह से जुड़े जो बैठकों, परिचर्चाओं, प्रदर्शनों इत्यादि में भाग लेने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, सहित खर्च किए गये सभी लागत एवं व्यय का वहन पूरी तरह से एवं केवल बोलीदाता ही करेगा।

ख. इस बोली के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौते के सिवाय किसी भी बोलीदाता एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के बीच, कोई बाध्यकारी विधिक संबंध मौजूद नहीं रहेगा जब तक कि संविदात्मक करार का निष्पादन न किया जाय। बोलियों के मूल्यांकन एवं अंतिम रूप देने व सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात यह सत्यनिष्ठा समझौता, राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ सफल बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने वाला निर्णायक करार का हिस्सा बन जाएगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, यह संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता, प्रस्तुत बोली के संबंध में उक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौते के उल्लंघन/भंग करने में बोलीदाता द्वारा किये गये किसी कृत्य/भूल के लिए बाध्यकारी होगा।

ग. इस आरएफपी का प्रत्युत्तर देने वाले बोलीदाता को यह समझा जाएगा कि उसे इस आरएफपी की शर्तें व प्रतिआख्यान स्वीकार हैं।

घ. प्रत्येक बोलीदाता यह मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र व्यापारी बैंक/वेंडर को छांटने/चयन करने के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है। यह आरएफपी दस्तावेज ऐसे किसी संविदा अथवा करार का हिस्सा नहीं बनेगा जिसके परिणामस्वरूप बोलीदाता इस दस्तावेज को जारी करने अथवा किसी जांच अथवा समीक्षा क्रियान्वित करे।

ङ. बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार निम्नलिखित नामित संपर्क सूत्र को भेजें:

श्री रंजन कुमार बरून  
उप महाप्रबंधक  
पुनर्वित्त परिचालन विभाग  
राष्ट्रीय आवास बैंक  
चतुर्थ तल, कोर-V ए, भारत पर्यावास केंद्र,  
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

- च. राष्ट्रीय आवास बैंक इस आरएफपी बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं उस बोलीदाता को प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- छ. बोलीदाता अपना संपर्क सूत्र, दूरभाष, फ़ैक्स, ईमेल एवं पूरा पते का विवरण उपलब्ध कराये ताकि उन्हें आरएफपी के प्रत्युत्तर से तुरंत अवगत कराया जा सके।
- ज. यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी उत्तरदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- झ. प्रश्न/स्पष्टीकरण यदि कोई हों, बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा से पूर्व किसी भी कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार अवकाश को छोड़कर) प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे के बीच उपरोक्त संपर्क सूत्रों के समक्ष उठाया जा सकता है।
- ञ. राष्ट्रीय आवास बैंक यह आरएफपी बंद होने के पश्चात किसी प्रत्युत्तर में सुधार करने अथवा स्पष्ट करने के लिए अपने पूर्ण विवेक पर किसी उत्तरदाता (एक से अधिक उत्तरदाता के साथ एक साथ) को चर्चा अथवा बातचीत में शामिल कर सकता है।
- ट. बोलीदाता को भारत में स्थित किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से काली सूची में डाला गया हो/विवर्जित न किया गया हो।
- ठ. राष्ट्रीय आवास बैंक छांटे गये सभी उत्तरदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में जहां तक व्यावहारिक हो, लिखित में, अथवा मेल द्वारा सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसी किसी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के कारण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।
- 3.1.3** यद्यपि व्यापक एवं सटीक पारिस्थितिक जानकारी एवं अपेक्षा व विनिर्देश प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया गया है तथापि बोलीदाताओं को अपेक्षित सेवाओं के बारे में स्वयं का निष्कर्ष तैयार करना आवश्यक है।
- 3.1.4** इस आरएफपी के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा सफलतापूर्वक कार्य दिये जाने पर बोलीदाताओं द्वारा आपूर्तित सभी प्रकार की सूचना उन पर संविदात्मक रूप से बाध्यकारी समझी जाएंगी।
- 3.1.5** सफल बोलीदाता कार्य प्रदान करने/कार्य प्रदान करने के पत्र की तिथि से सात कार्य दिवस के भीतर अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा। हालांकि राष्ट्रीय आवास बैंक के पास कार्य प्रदान करने के पत्र को निरस्त करने का अधिकार है यदि कार्य प्रदान करने की तिथि से निर्धारित अवधि के भीतर उक्त की स्वीकृति न दी जाए।
- 3.1.6** जब तक राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से औपचारिक लिखित संविदा निष्पादित न की जाय किसी प्रकार की प्रतिबद्धता, चाहे वह संविदात्मक हो अथवा अन्यथा, मौजूद नहीं रहेगी। राष्ट्रीय आवास बैंक इस आरएफपी को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से निष्पादित किये जाने वाले औपचारिक लिखित संविदा से पूर्व किसी भी समय पर निरस्त कर सकता है।

**3.1.7 सहायक तंत्र**

बोलीदाता के पास इस परियोजना/कार्य के अंतर्गत आने वाली सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने वाले समुचित एवं पर्याप्त सहायक तंत्र/प्रणाली विद्यमान होनी चाहिए।

**3.1.8 स्थानीय परिस्थितियां**

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो संविदा के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

**3.1.9 संदर्भों का सत्यापन**

राष्ट्रीय आवास बैंक, यदि आवश्यक समझे, अपनी अपेक्षाओं के संदर्भ में प्रस्तुत की गयी सेवाओं के निष्पादन पर स्वयं की संतुष्टि के लिए संदर्भ अधिष्ठापनों का सत्यापन कर सकता है।

**3.1.10 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना**

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर संविदा प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा संविदा प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

**3.1.11 बोली की विषयवस्तु**

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि व्यापारी बैंक अपना प्रस्ताव सावधानीपूर्वक तैयार करें।

**3.1.12 प्रारंभिक जांच**

- राष्ट्रीय आवास बैंक बोलियों का निर्धारण करने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरे हैं, दस्तावेज यथोचित ढंग से हस्ताक्षरित हैं, समर्थित कागजात/दस्तावेज संलग्न हैं एवं बोलियां क्रम में लगी हुई हैं।
- राष्ट्रीय आवास बैंक अपने विवेक पर बोली में किसी प्रकार की मामूली अनियमितता से छूट दे सकता है जिसे विषय वस्तु में व्यतिक्रम न समझा जाए परंतु ऐसी छूट से पूर्वाग्रह अथवा किसी बोलीदाता की सापेक्ष रैंकिंग प्रभावित न हो।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

**3.1.13 प्रस्ताव का स्वामित्व**

बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं सभी समर्थित दस्तावेजीकरण राष्ट्रीय आवास बैंक की संपत्ति बन जाएगी जब तक कि राष्ट्रीय आवास बैंक लिखित में वेंडर के ऐसे विनिर्दिष्ट अनुरोध/धों पर सहमत न हो कि प्रस्ताव एवं दस्तावेजीकरण वापस किए जायं अथवा नष्ट कर दिये जायं।

### 3.1.14 शासी कानून एवं विवादों का निपटारा

किसी प्रकार का विवाद एवं/अथवा विसंगतियां जो इस करार के संबंध अथवा तत्संबंधी उल्लंघन के सिलसिले में पैदा हो, का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाएगा। हालांकि यदि पक्ष अनुचित देरी के बिना उनका सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने में समर्थ नहीं है तो उक्त का निपटारा भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (यथा समय-समय पर संशोधित) के अधीन नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा एवं कार्यवाही अंग्रेजी में की जाएगी। मध्यस्थता न्यायाधिकरण में पक्षों द्वारा नियुक्त एकमात्र यानि (एक) मध्यस्थ होगा। मध्यस्थ की नियुक्ति एक पक्ष का दूसरे पक्ष को लिखित रूप में मध्यस्थ के लिए पहली संस्तुति करने की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर की जाएगी। यदि पक्ष ऐसे एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमत नहीं होते हैं तो एकमात्र मध्यस्थ से बने मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। इसके अनुसार तय किया गया मध्यस्थ अंतिम होगा एवं पक्षों को बाध्यकारी होगा। पहली घटना में ऐसे मध्यस्थ की सभी लागतें एवं व्यय पक्ष समान रूप से वहन करेंगे हालांकि यह उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन होंगे। कुछ भी न होते हुए भी यह स्वीकार किया जाता है कि सेवा प्रदाता मध्यस्था कार्यवाही के दौरान इस करार के तहत कार्य जारी रखेगा यथा स्थिति जब तक कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा लिखित में अन्यथा निर्देशित न किया जाय अथवा जब तक मामला ऐसा न हो कि कार्य जारी रखना संभव न हो जब तक कि मध्यस्थ का निर्णय प्राप्त न हो।

### 3.1.15 बौद्धिक संपदा अधिकार

बोलीदाता को अपने चयन की स्थिति में विश्वास दिलाना होगा कि

- क. कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित उसके द्वारा उपलब्ध कराई गयी निविष्टियां किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।
- ख. बोलीदाता को यह भी विश्वास दिलाना होगा कि कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित प्रदेय किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।
- ग. ऐसी स्थिति में प्रदेय तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन अथवा अवहेलना के दावे के विषय बनते हैं बोलीदाता अपनी इच्छा अथवा खर्च पर (क) राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए ऐसे प्रदेय इस्तेमाल करना जारी रखने का अधिकार अधिप्राप्त करेगा, (ख) ऐसे प्रदेयों को अवहेलनामुक्त बनाते हुए बदलेगा अथवा संशोधित करेगा परंतु उक्त क्रिया कलाप अवहेलना करने वाले प्रदेयों के तौर पर प्रदेय बदले अथवा संशोधित किये गये हों अथवा (ग) यदि प्रदेय इस्तेमाल करने का अधिकार अधिप्राप्त न किया जा सके अथवा प्रदेय को बदला न जा सके अथवा संशोधित न किया जा सके एवं प्रदेयों वापसी स्वीकार करना एवं

बोलीदाता को ऐसे प्रदेशों के लिए अदा की गई कोई राशि के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की प्रतिपूर्ति के साथ डंड के अतिरिक्त समतुल्य उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा खर्च किये गये प्रतिस्थापन लागत की राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा वसूली की जाएगी। हालांकि राष्ट्रीय आवास बैंक इस संबंध में किसी प्रकार के खर्च, प्रभार, शुल्क अथवा किसी प्रकार की लगात का वहन नहीं करेगा। इसमें समाविष्ट निराकरण होते हुए भी बोलीदाता डंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि राष्ट्रीय आवास बैंक की असमर्थता के कारण प्रस्तावित साधन का इस्तेमाल करने में सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है।

- घ. बोलीदाता यह स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक के करोबार के तर्क, कार्य प्रवाह, प्रत्यायोजन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया संवेदनशील प्रकृति का विषय है अतः इसे सॉफ्टवेयर के अन्य ग्राहकों, एजेंटों अथवा वितरकों को नहीं भेजेगा। ऐसी परियोजना अधूरी समझी जाएगी यदि परियोजना के वांछित उद्देश्य यथा परियोजना के कार्य क्षेत्र में उल्लिखित है, की पूर्ति नहीं करते हैं व यदि प्रणाली विभिन्न अपेक्षाओं यथा आरएफपी में परिकल्पित है, से विधिवत समर्थित प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करने में असमर्थ रहती है।

### 3.1.16 कीमतों का प्रकटन

वाणिज्यिक बोली के सिवाय तकनीकी बोली अथवा बोली के किसी हिस्से में किसी स्वरूप में अथवा किसी कारण से कीमतों का विगोपन न किया जाए ऐसा न करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

## 3.2 अनुवर्ती बोली/संपूर्ण प्रत्युत्तर

**3.2.1** यह मान लिया जाएगा कि यह बोली/प्रस्ताव इस आरएफपी दस्तावेज के निहितार्थों को पूरी तरह समझते हुए ध्यानपूर्वक अध्ययन व जांच के पश्चात प्रस्तुत किया गया है। इस राष्ट्रीय आवास बैंक को इस आरएफपी का प्रत्युत्तर देने वाले बोलीदाता को यह समझा जाएगा कि उसे इस आरएफपी की शर्तों व प्रतिआख्यान स्वीकार हैं।

**3.2.2** इन अपेक्षाओं का अनुपालन न करने पर बोली को गैर अनुपालनयुक्त माना जाएगा एवं बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। बोलीदाताओं से निम्नलिखित अपेक्षा की जाती है:

- क. इस आरएफपी में निर्धारित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन हो;
- ख. इस आरएफपी में विनिर्दिष्ट स्वरूप में प्रस्तुत हों एवं इस आरएफपी में निर्धारित क्रम में प्रत्येक तत्व का प्रत्युत्तर हो।
- ग. इस आरएफपी में विनिर्दिष्ट सभी समर्थित दस्तावेजीकरण शामिल हों।

## 3.3 बोली पूर्व बैठक एवं स्पष्टीकरण

### 3.3.1 बोलीदाताओं के प्रश्न

- क. राष्ट्रीय आवास बैंक संभावित बोलीदाताओं के साथ दिनांक 21 मई, 2018 को राष्ट्रीय आवास बैंक - प्रधान कार्यालय, कोर 5 ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-11003 के पांचवें तल पर बैठक कक्ष में 11:30 बजे बोली पूर्व बैठक आयोजित करेगा।
- ख. भुगतान का साक्ष्य रखने वाले पात्र बोलीदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
- ग. बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि बोली पूर्व बैठक के लिए उनके प्रश्न यदि कोई हों, राष्ट्रीय आवास बैंक में डाक अथवा फैक्स अथवा ईमेल द्वारा दिनांक 17 मई, 2018 को 17.00 बजे तक या उससे पूर्व पहुंच जाने चाहिए।
- घ. ये प्रश्न अनिवार्य रूप से निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किये जाएं:

क्र.सं.	आरएफपी की अनुच्छेद व पृष्ठ सं.	स्पष्टीकरण(णों) की आवश्यकता वाली आरएफपी विषयवस्तु	स्पष्टीकरण(णों) के लिए बिंदु
1			
2			
3			
4			
5			

- ङ. राष्ट्रीय आवास बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा कि बोलीदाताओं के प्रश्न उन्हें पहुंच गये हैं। उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार एवं उल्लिखित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले स्पष्टीकरणों के किसी अनुरोध पर राष्ट्रीय आवास बैंक विचार नहीं करेगा।

### 3.3.2 बोली पूर्व प्रश्नों के प्रत्युत्तर एवं शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण जारी करना

- क. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अधिसूचित अधिकारीगण हर प्रश्न का समय पर प्रत्युत्तर देने का प्रयास करेंगे। हालांकि राष्ट्रीय आवास बैंक सद्भावना से दिये गये किसी प्रत्युत्तर कर संपूर्णता अथवा सटीकता के तौर पर कोई अभ्यावेदन अथवा आश्वासन नहीं देता है और न ही बोलीदाताओं द्वारा उठाये गये हर प्रश्नों का प्रत्युत्तर देने का वचन देता है।
- ख. राष्ट्रीय आवास बैंक बोलियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से पूर्व किसी भी समय पर किसी भी कारण के लिए चाहे अपने स्वयं की पहल पर अथवा संभावित बोलीदाता के स्पष्टीकरण के अनुरोध के प्रत्युत्तर में इस आरएफपी दस्तावेज को शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित कर सकता है।
- ग. बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी समय पर किसी कारण के लिए बोलीआरएफपी दस्तावेज/निविदा/ में बदलाव करते हुए संशोधन कर सकता है।
- घ. ऐसे संशोधनों को बैंक की वेबसाइट [www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) पर दर्शाया जाएगा।
- ङ. सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधनयदि कोई ) वृद्धि/

बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। (होकिसी बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार चूक के मामले में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।

- च. किसी प्रकार की संवादहीनता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आवास बैंक के पास बिना कोई कारण बताये किसी भी चरण पर निविदा प्रक्रिया को रद्द करने अथवा छोड़ देने का अधिकार सुरक्षित है।

### 3.3.3 बोलीदाताओं की निबंधन व शर्तें

बोलीदाताओं को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे इस आरएफपी में लागू संविदा की ऐसी निबंधन व शर्तों के मामले में प्रपत्र 2.3 के अनुसार स्पष्ट तौर पर व्यतिक्रम विनिर्दिष्ट करें जो उन्हें स्वीकार्य नहीं हैं। बोलीदाता स्पष्ट तौर पर यह भी उल्लेख करें कि प्रस्तुत की जा रही सेवाएं किस संबंध में एवं किसी सीमा तक विनिर्देशों एवं अपेक्षाओं में निर्धारित विनिर्देशों से भिन्नता/व्यतिक्रम हैं।

### 3.3.4 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

### 3.4 बोली की मुख्य अपेक्षाएं/बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखित होंगे।

### 3.5 प्रच्छादित (मास्कड) वाणिज्यिक बोली

बोलीदाता तकनीकी बोली के साथ वास्तविक कीमतों को अलग से प्रच्छादित करते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत की जा रही वास्तविक कीमत की बोली राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार की प्रति प्रस्तुत करेगा। यह अनिवार्य है। वह बोली अयोग्य ठहराई जा सकती है यदि इसे यथोचित ढंग से प्रच्छादन करते हुए प्रस्तुत न किया गया हो। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय पर बोली/निविदा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है यदि 'प्रच्छादित वाणिज्यिक बोली' का प्रारूप/विवरण (मूल्य के सिवा) प्रस्तुत की गई वास्तविक वाणिज्यिक बोली के प्रारूप/विवरण से न मिलता हो।

### 3.6 स्थान/मात्रा में सुधार करने का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास इस आरएफपी में विनिर्दिष्ट प्रस्तावित स्थान/नों में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आवास बैंक के पास इस आरएफपी में विनिर्दिष्ट सूची से एक अथवा उससे अधिक स्थान/नों को जोड़ने/हटाने का अधिकार भी सुरक्षित है।

### 3.7 बोली की मुख्य अपेक्षाएं

#### 3.7.1 आरएफपी दस्तावेज शुल्क

इच्छुक बोलीदाताओं को ई-भुगतान जो अगले अनुच्छेद में उल्लिखित है, की रीति से 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का अप्रतिदेय शुल्क का भुगतान करना है। बोलीदाताओं को संलग्न ई-भुगतान का प्रमाण अपने पास रखना एवं तकनीकी बोली वाले लिफाफे में रखना आवश्यक है ऐसे न करने पर बोली के मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं को तकनीकी बोली खोलने में भाग लेते समय ई-भुगतान का प्रमाण अपने पास रखना आवश्यक है।

#### 3.7.2 बयाना जमा-राशि (ईएमडी)

- क. बोलीदाता अपनी बोलियां राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में ई-भुगतान के माध्यम से 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त जमानत धनराशि के साथ जमा करेगा।
- ख. खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

क्र.सं.	प्रकार	ब्यौरा
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर 5 ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
4	लाभार्थी के बैंक की शाखा	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, कोर-6, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं.	52142903844
7	शाखा का आईएफसी कोड	SBHY0020511
8	एमआईसीआर सं.	110004005
9	जीएसटीआईएन (दिल्ली राज्य)	07AABCN2600H1ZY

- ग. बयाना जमा-राशि (ईएमडी) के ई-भुगतान का प्रमाण संलग्न करें एवं तकनीकी बोली वाले लिफाफे में रखें

ऐसा न करने पर बोली के मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता को संलग्न ईसीएस मेनडेट फार्म प्रस्तुत करना भी आवश्यक है।

- घ. बयाना जमा-राशि से छूट के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यथोचित स्वरूप एवं रीति में बिना बयाना जमा-राशि की कोई भी बोली पर अनुत्तरदायी मानी जाएगी एवं अस्वीकार कर दी जाएगी।
- ङ. बयाना जमा-राशि ब्याज मुक्त होगी एवं असफल बोलीदाताओं को बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। सभी असफल बोलीदाताओं की बयाना जमा-राशि निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर वापस कर दी जाएगी।
- च. सफल बोलीदाता की बयाना जमा-राशि कार्य निष्पादन बैंक गारंटी की प्रस्तुति एवं करार के निष्पादन के अधीन वापस की जाएगी।

### 3.7.3 कार्य निष्पादन बैंक गारंटी ('पीबीजी')

सफल बोलीदाता को अनुलग्नक में निर्धारित प्रारूप के अनुसार संविदा की कुल लागत का 10 प्रतिशत की राशि की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में कार्य निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। यह कार्य निष्पादन गारंटी संविदा अवधि की समाप्ति अथवा ऐसी अन्य बढ़ाई गयी अवधि जो राष्ट्रीय आवास बैंक विनिश्चित करे से कम से कम तीन माह तक वैध होनी चाहिए। यह पीबीजी सफल बोलीदाता द्वारा श्रम कानून एवं अन्य कानून/नियम/विनियम सहित लागू सांविधिक उपबंधों के गैर अनुपालन सहित आरएफपी के निबंधन/नों में गैर कार्य-निष्पादन अथवा व्यतिक्रम के जोखिम के प्रति राष्ट्रीय आवास बैंक के हित की रक्षा के लिए आवश्यक है। संविदा की शर्तों के सफलता पूर्वक कार्यान्वयन में व्यतिक्रम होने के कारण पीबीजी के अवलंब को आश्वासन समझा जा सकता है एवं यदि व्यापारी बैंक के किसी कृत्य के परिणामस्वरूप निर्णीत हर्जाना/दंड लगाया जाता है तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी का अवलंब लेने का अधिकार सुरक्षित है।

इस संविदा में अंतर्विष्ट कुछ भी प्रतिकूल होते हुए भी राष्ट्रीय आवास बैंक इस संविदा के अधीन अथवा अन्यथा में उपलब्ध अन्य उपायों के अतिरिक्त इस कार्य निष्पादन गारंटी का अवलंब लेने के लिए स्वतंत्र होगा यदि सफल बोलीदाता संविदा/कार्य आदेश की किसी निबंधनों को पूरा करने में असफल रहता है अथवा इस संविदा की किसी निबंधन व शर्तों का उल्लंघन करता है।

बयाना जमा-राशि जब्त की जा सकती है यदि बोलीदाता या तो बोली की वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है एवं/अथवा ऐसा वर्णन करता है अथवा प्रपत्र संलग्न करता है जो संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व किसी समय पर झूठे/गलत पाये जाएं एवं सफल बोलीदाता के मामले में बोलीदाता संविदा पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है।

### 3.7.4 प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

- क. बोलीदाता इस आरएफपी में दिये गये प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित तरीके में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें-
  - i. पहले लिफाफे में बोलीदाता की जानकारी एवं पूर्व अहर्ता नमूना; एवं तकनीकी बोली नमूना (1 मूल) प्रस्तुत करें जिस पर 'पूर्व अहर्ता एवं तकनीकी बोली नमूना' लिखा हो;
  - ii. दूसरे लिफाफे में दस्तावेज शुल्क एवं ईएमडी के लिए किये गये ई-भुगतान का प्रमाण जिस पर 'दस्तावेज शुल्क एवं ईएमडी के लिए किये गये ई-भुगतान का प्रमाण' लिखा हो;

- iii. तीसरे लिफाफे में वाणिज्यिक प्रस्ताव नमूना (1 मूल) जिस पर 'वाणिज्यिक प्रस्ताव नमूना' लिखा हो;
- iv. सभी समर्थित दस्तावेजों के साथ परिशिष्ट में दिये गये प्रपत्र अधिकृत होने चाहिए एवं इस बोली के साथ संलग्न होने चाहिए।

पूर्व अहर्ता एवं तकनीकी बोली नमूना, दस्तावेज शुल्क एवं ईएमडी के लिए किये गये ई-भुगतान का प्रमाण एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव नमूना की प्रतिलिपियों से युक्त उपरोक्त तीन अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे 'आवास वित्त कंपनी (एचएफसी) एवं अन्य संस्थानों का मूल्यांकन करने के लिए व्यापारी बैंकर की नियुक्ति की आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर' लिखकर एक अलग मुहरबंद लिफाफे में रखे जाएं।

- v. उपरोक्त (क) के अनुसार तैयार बाहर के लिफाफे में बोलीदाता का नाम व पता, संपर्क विवरण जैसे टेलीफोन संख्या, ईमेल आईडी एवं फैक्स संख्या का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया जाए ताकि 'देरी से प्राप्त' बोली घोषित करने के मामले में बोली को बिना खोले ही वापस किया जा सके, एवं
- vi. इस आरएफपी में विनिर्दिष्ट सभी संबंधों में अपने संपूर्ण स्वरूप में विद्यमान प्रस्ताव राष्ट्रीय आवास बैंक को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट पते पर भेजें:

नाम	रंजन कुमार बरून
पदनाम एवं संगठन	उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक
पता	चतुर्थ तल, कोर 5 ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष	011-3918 7043 ; मोबाइल – 97176 91296
ईमेल आईडी	Ranjan.barun@nhb.org.in
प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	28 मई, 2018 को 17.00 बजे तक

- ख. बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखित होंगे।
- ग. सभी बोलीदाता इस परियोजना का तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव तैयार करते समय इस आरएफपी की प्रत्येक लाइन को ध्यान में रखें। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने से पूर्व किसी प्रकार के मुद्दों के मामले में राष्ट्रीय आवास बैंक से स्पष्ट कर लें। प्रस्तुत बोलियां इस परियोजना के अधीन सभी प्रदेयों की पूर्ति करने वाली हों। यह सफल बोलीदाता की पूरी जिम्मेदारी होगी कि वह संविदागत अवधि के दौरान इस परियोजना के कार्यक्षेत्र के अनुसार हर चीजों को आपूर्ति करे। राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसी किसी अपेक्षा के मामले में जिम्मेदार नहीं होगा जिसे कम महत्व दिया गया हो अथवा किसी अपेक्षा की सही परिप्रेक्ष्य में व्याख्या न की गयी हो।
- घ. राष्ट्रीय आवास बैंक के पास बिना कोई कारण बताए विनिर्देशों की अपेक्षा बदलने एवं बोली अथवा

निविदा प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

- ड. राष्ट्रीय आवास बैंक की इस आरएफपी के प्रत्युत्तर में प्राप्त सबसे कम अथवा कोई अन्य बोली/प्रस्ताव स्वीकार करने की कोई बाध्यता नहीं होगी एवं बिना कोई कारण बताए जो भी हो, देरी से प्राप्त अथवा अपूर्ण प्रस्ताव सहित किसी बोली अथवा सभी बोली/प्रस्ताव अस्वीकार करने का हकदार होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास इस आरएफपी की निबंधन व शर्तों में किसी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी बोलीदाता के साथ बैठक करने एवं परिचर्चा करने अथवा किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी बोली/प्रस्तावों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक का निर्णय अंतिम होगा एवं इस संबंध में आगे पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- च. उद्धृत कीमत नियत कीमत आधार पर रूपये में होनी चाहिए एवं राष्ट्रीय आवास बैंक में हार्डवेयर एवं कार्य स्थल की अपेक्षा जिसे बोलीदाता स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करे, को छोड़कर राष्ट्रीय आवास बैंक में उत्पाद/सेवा देने में सभी लागतों से युक्त होनी चाहिए।
- छ. परियोजना के कार्यान्वयन की तिथि कार्य शुरू करने की तिथि होगी। सहायक सेवा इत्यादि के विस्तारण के लिए वही तिथि मानी जाएगी।
- ज. पूर्व अहर्ता एवं तकनीकी बोली नमूने में कीमतों का उल्लेख न किया जाय लेकिन इसका उल्लेख वाणिज्यिक प्रस्ताव नमूने में ही किया जाय।
- झ. प्रस्ताव के सभी पृष्ठों में क्रमवार संख्या हो एवं पृष्ठ संख्या के साथ विषय सूची भी शामिल हो।
- ञ. प्रस्ताव प्राधिकृत हस्ताक्षरी के नाम में वकालतनामा से युक्त हो।
- ट. मूल प्रस्ताव/बोली अमिट स्याही में तैयार होगी। बोलीदाता द्वारा स्वयं की गयी त्रुटियों को ठीक करने जहां आवश्यक हो, को छोड़कर कोई अंतरालेखन अथवा उपरिलेखन से युक्त नहीं होगी। ऐसे किसी सुधारों पर बोलीदाता का ऐसे अधिकृत व्यक्ति (अथवा व्यक्तियों) का हस्ताक्षर होना आवश्यक है जिसने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है/किए हैं।
- ठ. अनुलिपि सहित बोली के सभी पृष्ठों पर बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के हस्ताक्षर एवं मुहर होगी।
- ड. प्रस्तुत किए गये बोली दस्तावेज अहस्तांतरणीय हैं।
- ढ. राष्ट्रीय आवास बैंक के पास किसी प्रकार की अतिरिक्त सूचना मांगने का अधिकार सुरक्षित है इसके अतिरिक्त किसी बोलीदाता के प्रस्ताव अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित है यदि राष्ट्रीय आवास बैंक के अभिमत में प्रस्तुत सूचना अपूर्ण है अथवा बोलीदाता इस संविदा की अहर्ता पूरी न करता है।
- ण. बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियां आरएफपी में उल्लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से कम से कम तीन माह की अवधि के लिए वैध होगी।
- त. बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियां एवं सभी सहायक दस्तावेज राष्ट्रीय आवास बैंक की संपत्ति बन जाएगी जब तक कि राष्ट्रीय आवास बैंक लिखित में बोलीदाता के ऐसे विनिर्दिष्ट अनुरोध/धों पर सहमत न हो कि

प्रस्ताव एवं दस्तावेजीकरण वापस किए जायं अथवा नष्ट कर दिये जायं।

- थ. यदि लिफाफा मुहरबंद एवं चिह्नांकित नहीं है तो राष्ट्रीय आवास बैंक बोलियों के इधर-उधर होने अथवा इसके पहले की खुलने की जिम्मेदारी नहीं लेगा।
- द. यथोचित ढंग से मुहरबंद न की गई बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा एवं बिना कार्यवाही के अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ध. वाणिज्यिक बोली एवं तकनीकी बोलियों के सभी पृष्ठों पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। बिना हस्ताक्षर वाली बोलियों को अपूर्ण समझा जाएगा एवं अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- न. बोलीदाता प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इस बात पर सहमत होगा कि वह बोलीदाता को प्रदान किए गये किसी कार्य के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ संविदा का तुरंत निष्पादन करेगा। सफल बोलीदाता द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ वैध संविदा का निष्पादन न करने पर राष्ट्रीय आवास बैंक बोलीदाता के प्रति किसी दायित्व से मुक्त हो जाएगा इस प्रकार अन्य बोलीदाता का चयन किया जा सकेगा।
- न. टेलेक्स/टेलीग्राम/फैक्स/ईमेल इत्यादि के माध्यम से प्रस्तुत बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा एवं इस मामले में पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- प. किसी कारण से, जो भी हो, नियत तिथि एवं विनिर्दिष्ट समय (बढ़ाई गयी अवधि यदि को हो, सहित) के पश्चात प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा एवं बिना खोले ही वापस कर दिया जाएगा।
- फ. राष्ट्रीय आवास बैंक दस्तावेजों की डाक से संबंधित देरी अथवा प्राप्त न होने/सुपर्दगी न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस विषय पर आगे कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- ब. इस सेवा का समय एवं गुणवत्ता इस करार/संविदा का मूलतत्त्व है ऐसा न करने पर यह इस संविदा की निबंधन व शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

### 3.8 बोलियों में व्यतिक्रम/संशोधन/वापसी

- क. बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा सौंपे गये विकास एवं प्रबंधन कार्य को किसी तीसरे पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा एवं राष्ट्रीय आवास बैंक की संतुष्टि के लिए अपने स्वयं की सेवा/सहायक बुनियादी ढांचे के माध्यम से ही सेवाएं प्रदान करेगा।
- ख. बोलीदाता आरएफपी दस्तावेज की विषय वस्तु में व्यतिक्रम प्रदान कर सकता है। यह उल्लेखनीय है कि एक बार जब व्यतिक्रम प्रदान किया जाता है तो बोलीदाता को इस तरह प्रस्तुत किए गये व्यतिक्रमों की वापसी की अनुमति नहीं होगी।
- ग. राष्ट्रीय आवास बैंक उनका 'विषयक व्यतिक्रम' अथवा गैर विषयक व्यतिक्रम' के तौर पर मूल्यांकन एवं वर्गीकरण करेगा। किसी विषय में व्यतिक्रम के मामले में राष्ट्रीय आवास बैंक बोली अस्वीकार करने का हकदार होगा।
- घ. बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने के पश्चात अपनी बोली का संशोधन कर सकता है अथवा वापस ले सकता है परंतु शर्त यह है कि बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व राष्ट्रीय आवास बैंक को बोलियों के प्रतिस्थापन अथवा वापस लेने सहित संशोधन की लिखित में सूचना प्राप्त हो।

- ड. एक बोलीदाता केवल एक ही प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो ऐसे सभी प्रस्ताव अयोग्य घोषित किए जाएंगे।
- च. बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपनी बोलियां बोली पूर्व बैठक के पश्चात ही प्रस्तुत करें चूंकि एक बार बोलियां प्रस्तुत कर दी जायं तो उसे अंतिम समझा जाएगा एवं इस पर आगे किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- छ. बोलीदाता के संशोधन अथवा वापस लेने की सूचना हस्ताक्षरित, मुहरबंद, चिह्नांकित एवं बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के भीतर अनुच्छेद 3.1.2 (ग) में विनिर्दिष्ट पते पर डाक द्वारा भेजी गयी हो।
- ज. बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा के पश्चात किसी बोली को संशोधित करने/वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।
- झ. बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा एवं बोली प्रपत्र में बोलीदाता द्वारा विनिर्दिष्ट बोली वैधता अवधि की समाप्ति के बीच में अंतराल में बोली वापस नहीं ली जा सकेगी। इस अंतराल के दौरान बोली वापस लेने के कारण बोलीदाता की बयाना जमा-राशि जब्त की जा सकती है।
- ञ. राष्ट्रीय आवास बैंक के पास बिना कारण बताये जो भी हों, किसी अथवा सभी प्रस्ताव अस्वीकार करने का अधिकार है। बैंक किसी भी कारण से जो भी हों, बोली दस्तावेज प्राप्त न होने/न सौंपे जाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

## 4 मूल्यांकन प्रक्रिया

### 4.1 मूल्यांकन समिति

- क. समिति सभी बोलियों की जांच करेगी एवं छांटी गई पार्टियों को समिति के समक्ष अपने प्रत्यय-पत्र संबंधी दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण करने के लिए बुलाया जाएगा। तदनुसार छांटे गये बोलीदाताओं को प्रस्तुतीकरण की तिथि/समय/स्थल की सूचना दी जाएगी।
- ख. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा गठित समिति आरएफपी के प्रत्युत्तरों एवं सभी समर्थित दस्तावेजों/दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करेगी। अपेक्षित समर्थित दस्तावेजों/दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने पर बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ग. समिति प्रस्तुतीकरण के दौरान प्राप्त निविष्टियों के आधार पर तकनीकी अंक के तौर पर अंक प्रदान करेगी। तकनीकी अंक में छांटे गये प्रतिभागियों को वित्तीय बोलियां खोलने की तिथि व समय से अवगत कराया जाएगा।
- घ. बोलीदाता का नाम एवं अपेक्षित बयाना जमा-राशि (ईएमडी), आरएफपी की लागत एवं ऐसा कोई अन्य विवरण जो राष्ट्रीय आवास बैंक अपने विवेक पर समुचित समझे, की मौजूदगी अथवा गैर मौजूदगी की घोषणा तकनीकी बोली खोलने के समय पर की जाएगी।
- ड. आरएफपी समिति केवल छांटे गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोलियां खोलेगी। छांटे गये बोलीदाताओं द्वारा प्राप्त अंकों की घोषणा वित्तीय बोलियां खोलने से पूर्व की जाएगी। वे बोलीदाता यदि वे ऐसा चाहें वित्तीय बोलियां खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

- च. यह समिति निर्धारित तिथि व समय को स्थल में उपस्थित रहने वाले बोलीदाताओं की उपस्थिति में यथा नियत/संसूचित निर्धारित तिथि व समय पर बोलियां खोलेगी। बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि वे प्रस्ताव खोलने में भाग लेने के लिए भाग लेने वाले बोलीदाताओं के प्रति अपनी प्रमाणिकता के तौर पर उनसे पहचान पत्र एवं प्राधिकार पत्र रखें।
- छ. समिति के साथ मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाहर किसी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ज. समिति बोलीदाताओं के साथ अपने प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण की मांग के लिए बैठकें तय कर सकती है।
- झ. समिति के पास किसी प्रकार के व्यतिक्रम के आधार पर किसी अथवा सभी प्रस्तावाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
- ञ. तकनीकी अंक को 75 प्रतिशत भारांक दिया जाएगा एवं वित्तीय बोली को 25 प्रतिशत भारांक दिया जाएगा।
- ट. तकनीकी व वित्तीय बोलियों का सबसे अधिक संयुक्त अंक प्राप्त करने वाला बोलीदाता को एल1 घोषित किया जाएगा एवं लेन-देन के लिए नियुक्त किया जाएगा। एल2, एल3 इत्यादि के तौर पर अंक प्राप्त करने वाले अन्य अहर्ताप्राप्त बोलीदाता को उस क्रम में चयन किया जाएगा यदि बैंक एक से अधिक व्यापारी बैंकर को रखने का निर्णय लेता है।

#### 4.2 मूल्यांकन के लिए मानदंड

- क. बोली की प्राथमिक जांच की जाएगी एवं निम्नलिखित दिये गये अपूर्ण विवरणों को गैर उत्तरदायी समझा जाएगा यदि प्रस्ताव
  - आरएफपी दस्तावेज में विनिर्दिष्ट प्रारूपों में प्रस्तुत न हो
  - प्राधिकार पत्र के बिना प्राप्त हो
  - ऐसा पाया जाय कि विवरणों को छुपाया गया है
  - अपूर्ण जानकारी से युक्त, व्यक्तिपरक हो एवं सर्शत पेशकश एवं आंशिक पेशकश से साथ प्रस्तुत की गयी हो
  - जांचसूची में अनुरोध किये गये दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत की गयी हो
  - इस आरएफपी में निर्धारित किसी खंड का अनुपालन न करते हो
  - बहुत कम वैधता अवधि वाले हो
  - सहायता संघ/उप-संविदा व्यवस्थाओं के साथ प्रस्तुत की गयी हो
- ख. राष्ट्रीय आवास बैंक इस आरएफपी की निबंधन व शर्तों का अनुपालन करने वाले उत्तरदायी बोलीदाताओं की सूची तैयार करेगा। समिति, सभी पात्र बोलियों पर इस आरएफपी दस्तावेज में परिभाषित मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार आगे मूल्यांकन करने पर विचार करेगी। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- ग. प्रत्येक प्रत्युत्तरों का इस आरएफपी दस्तावेज में विनिर्दिष्ट मानदंड व अपेक्षाओं के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

#### 4.3 तकनीकी अहर्ता/पात्रता का मानदंड

क्र.सं.	मानदंड	अपेक्षाएं	संलग्न किए जाने वाले प्रमाण
1	प्रोफाइल	<p>फर्म सेबी से पंजीकृत व्यापारी बैंकर – वर्ग I हो।</p> <p>फर्म ने विगत पांच वर्षों में एनबीएफसी/एचएफसी/वित्तीय संस्था का मूल्यांकन करने के कम से कम पांच अधिदेश पूरे किए हों। बोलीदाता के पास परामर्शी सेवाओं में 5 (पांच) वर्षों अथवा उससे अधिक वर्षों का अनुभव हो एवं विगत 5 (पांच) वर्षों में भारतीय मूल की 50 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की राशि के लेन-देन वाली कंपनियों के लिए ऐसे कार्य किए हों।</p> <p>बोलीदाता का परामर्शी क्रियाकलाप/कारोबार से लेखा परीक्षित औसत कारोबार 31 मार्च, 2018 को समाप्त विगत वित्तीय वर्ष सहित विगत 3 (तीन) वर्षों में 10 करोड़ (दस करोड़ रुपये) से कम न हो।</p>	उपरोक्त पात्रता मानदंड के लिए निगमन प्रमाणपत्र अथवा अन्य समतुल्य दस्तावेज, पेन, दस्तावेजी प्रमाण की प्रतिलिपि विधिवत प्रस्तुत की जाये।
2	विशिष्टता	बोलीदाता अलग-अलग संस्थान हो। सहायता संघों को बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।	---
3	काली सूची में होना	बोलीदाता भारत सराकार, किसी राज्य सरकार, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा किसी बहुपक्षीय एजेंसी द्वारा काली सूची में न डाला गया हो।	स्व-प्रमाणपत्र

नोट: बोलीदाता उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक मानदंड के लिए समर्थित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां अवश्य प्रदान करें ऐसा न करने पर बोलियां अस्वीकार की जा सकती हैं।

#### 4.4 प्रस्तावों का मूल्यांकन

सफल बोलीदाता का चयन दो लिफाफा प्रक्रिया यानी (i) तकनीकी प्रस्ताव एवं (ii) वित्तीय प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा।

उपरोक्त अनुच्छेद 4.3 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड पूरा करने वाले बोलीदाताओं का तकनीकी मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा। तकनीकी प्रस्तावों का निम्नलिखित मूल्यांकन मानदंड, उप-मानदंड एवं अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा:

क्र.सं.	मूल्यांकन मानदंड	अधिकतम अंक	समर्थित दस्तावेज
<b>1. बोलीदाता की परामर्शी कारोबार का परिमाण (20)</b>			
1.1	परामर्शी कारोबार में अनुभव के वर्षों की संख्या <ul style="list-style-type: none"> <li>10 से अधिक वर्ष (10 अंक)</li> <li>5 से 10 वर्ष (5 अंक)</li> </ul>	10	पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा समतुल्य दस्तावेज
1.2	बोलीदाता का परामर्शी कार्यों से वार्षिक कारोबार (वित्तीय वर्ष 2016-17 सहित विगत तीन वर्षों का औसत) <ul style="list-style-type: none"> <li>20 करोड़ से अधिक का कारोबार (10 अंक)</li> <li>20 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का कारोबार (5 अंक)</li> </ul>	10	वित्तीय वर्ष 2016-17 सहित तीन वर्षों की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण। यदि वित्तीय विवरणों में परामर्शी कार्यों से बोलीदाता का कारोबार पर खंड-वार रिपोर्ट नहीं दर्शायी गयी हो तो उक्त के समर्थन में सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र उपलब्ध किया जाए।
<b>2. बोलीदाता की प्रासंगिक अनुभव (30)</b>			
2.1	विगत तीन वर्षों में <u>भारतीय कंपनियों में प्रत्येक के लिए 50 करोड़ से अधिक राशि के कार्य के साथ इक्विटी की मर्चेट बैंकिंग अथवा इसी तरह के कार्य में अनुभव</u> प्रति कार्य अंकों की संख्या; 10	30	ग्राहक का नाम, कार्य का नाम, सेवाओं का कार्यक्षेत्र, कार्य दिये जाने एवं पूरा होने की तिथि, संव्यवहार का परिमाण एवं अन्य प्रमुख विवरण।  दस्तावेजी प्रमाण विधिवत प्रस्तुत करें।
<b>3. इस कार्य के लिए दल के सदस्य एवं उनका अनुभव (20)</b>			
3.1	इस कार्य के लिए निर्दिष्ट किए जाने वाले प्रमुख संसाधनों की गुणवत्ता एवं उपयुक्तता, संसाधनों का प्रासंगिक अनुभव	20	संव्यवहार करने वाले प्रस्तावित दल का विवरण (रैंक-वार नाम, योग्यता, अनुभव, दल के सदस्यों की अवस्थिति, जीवन वृत्त एवं विचारार्थ विषय के अनुसार कार्य क्षेत्र में उनके अन्य प्रत्यय प्रमाणपत्र)
<b>4. राष्ट्रीय आवास बैंक के समक्ष प्रस्तुतीकरण (30)</b>			
4.1	राष्ट्रीय आवास बैंक के समक्ष प्रस्तुतीकरण जिसमें प्रोफाइल, अनुभव, इक्विटी शेयर इत्यादि का मूल्यांकन करने में इस्तेमाल की जाने वाली विधि/तकनीक शामिल है।	30	पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण
<b>योग</b>		<b>100</b>	

**4.4.1** सर्वप्रथम तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन आरंभ होगा एवं इस चरण में वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोले जाएंगे। बोलीदाताओं के प्रतिनिधि जो भाग लेना चाहें, की उपस्थिति में केवल तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकन में अहर्ताप्राप्त बोलीदाताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे। राष्ट्रीय आवास बैंक तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन पूरा होने के पश्चात सभी अहर्ताप्राप्त बोलीदाताओं को वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि, समय व स्थान से अवगत कराएगा।

**4.4.2** वित्तीय प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए पात्रता का न्यूनतम अहर्ता अंक तकनीकी अंक के तहत कुल अंक में से 65 अंक होगा। केवल तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत न्यूनतम 65 तकनीकी अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे।

**4.4.3** कुल मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कुल अंक, तकनीकी अंकों को निम्नानुसार 75 प्रतिशत का भारांक एवं वित्तीय अंकों को 25 प्रतिशत का भारांक देकर तकनीकी व वित्तीय अंकों को मिलाकर होंगे:

**(अलग-अलग बोलीदाता का तकनीकी अंक x 75%) + (अलग-अलग बोलीदाता का वित्तीय अंक x 25%)**

**4.4.4** सबसे अधिक तकनीकी अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं को तकनीकी अंक के तौर पर 100 अंक दिया जाएगा एवं तदनुसार अन्य बोलीदाताओं के तकनीकी अंक की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाएगी:

(तकनीकी अंक/उच्चतम अंक x 100) यदि बोलीदाता ए द्वारा प्राप्त उच्चतम अंक 90 है एवं बोलीदाता बी एवं सी द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः 81 एवं 72 है तो बोलीदाता ए का तकनीकी अंक 100, बोलीदाता बी का तकनीकी अंक  $-\left[\frac{81}{90} \times 100 = 90\right]$  एवं बोलीदाता सी का तकनीकी अंक  $-\left[\frac{72}{90} \times 100 = 80\right]$  होगा।

**4.4.5** इसी तरह वित्तीय अंक के मामले में सबसे कम शुल्क वाले बोलीदाता को वित्तीय अंक के तौर पर 100 अंक दिया जाएगा एवं अन्य दो बोलीदाताओं के वित्तीय अंकों की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाएगी:

[सबसे कम कीमत/अलग-अलग कीमत x 100] यदि बोलीदाता बी द्वारा उद्धृत शुल्क 90 सबसे कम है एवं बोलीदाता ए व सी द्वारा उद्धृत शुल्क क्रमशः 120 एवं 96 है तो बोलीदाता बी का वित्तीय अंक 100, बोलीदाता ए का अंक  $\left[\frac{90}{120} \times 100 = 75\right]$  एवं बोलीदाता सी का अंक  $-\left[\frac{90}{96} \times 100 = 93.75\right]$  होगा। तदनुसार कुल अंतिम अंक निम्नलिखित होगा:

बोलीदाता ए =  $[(100 \times 0.75) + (75 \times 0.25)] = 93.75$  (एच 1)

बोलीदाता बी =  $[(90 \times 0.75) + (100 \times 0.25)] = 92.50$  (एच 2)

बोलीदाता सी =  $[(80 \times 0.75) + (93.75 \times 0.25)] = 83.44$  (एच 3)

उपर्युक्त गणना के अनुसार अधिकतम कुल या संयुक्त अंक वाले बोलीदाता की नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा।

- 4.4.6** कुल या संयुक्त अंक का टाई-अप होने पर, उच्चतम तकनीकी अंक वाले बोलीदाता की नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा।
- 4.4.6** कुल या संयुक्त अंक के साथ ही तकनीकी अंक का भी टाई-अप होने पर, उच्चतम वित्तीय अंक वाले बोलीदाता की नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा।

#### 4.5 वाणिज्यिक बोली का मूल्यांकन

- 4.5.1** तकनीकी तौर पर अहर्ताप्राप्त बोलीदाताओं की वाणिज्यिक बोलियां, बाद में घोषित तिथि को बोलीदाता अथवा उसके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी।
- 4.5.2** वाणिज्यिक बोली की कीमत उपरोक्त अनुच्छेद संख्या 2.1.5 में उल्लिखित संस्थाओं (छः) के लिए उद्धृत की जाये:

उद्धृत राशि दो दशमलव स्थानों के साथ लाख रूपये में

क्र.सं.	क्रियाकलाप	राशि
1.	शेयरों का मूल्यांकन जहां राष्ट्रीय आवास बैंक की कंपनी/संस्थान की शेयर पूंजी में इक्विटी हिस्सेदारी है।	

- 4.5.3** इस बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट सभी प्रदेयों एवं सेवाओं के लिए केवल कुल कीमत दर्शाने वाली नियत कीमत वाली वित्तीय बोलियों पर विचार किया जाएगा।
- 4.5.4** बोली की कीमत सभी लागू करों एवं उदग्रहण मिला कर हों एवं रूपये में उद्धृत हों। बोलीदाता को कोई भी भुगतान करने से पूर्व अनिवार्य टीडीएस एवं अन्य शुल्क काट लिए जाएंगे।
- 4.5.5** बोली की कीमत में सभी फुटकर खर्च शामिल होंगे।
- 4.5.6** बोलीदाता द्वारा प्रदान की गयी बोली की कीमत का ब्यौरा उपरोक्तानुसार बाध्यकारी होगा जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक सेवाओं को बढ़ाये जाने/बंद करने यदि कोई हो, की प्रासंगिक क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने में प्रयुक्त कर सकता है। बोलीदाता वांछित अवधि (बढ़ाये जाने के लिए) में किसी प्रकार की वृद्धि के बिना उसी दर पर सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।
- 4.5.7** यदि संविदा समाप्त कर दी जाती है तो प्राप्त सेवाओं का भुगतान राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के लिए समानुपातिक आधार पर किया जाएगा जो राष्ट्रीय आवास बैंक की संतुष्टि के अधीन होगा।

**4.5.8** किसी प्रकार की सर्शत बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

**4.5.9 अंक संबंधी त्रुटियां एवं सुधार:** यदि इकाई कीमत एवं कुल कीमत के बीच अंतर पाया जाता है जो इकाई कीमत को मात्रा से गुणा करके आता है तो इकाई कीमत अभिभावी होगा एवं कुल मूल्य को सही किया जाएगा। यदि अंकों एवं शब्दों के कीच अंतर पाया जाता है तो शब्दों में लिखी गयी राशि अभिभावी होगी।

## **4.6 सेवाओं के लिए नियुक्ति**

### **4.6.1 कार्य देने के मानदंड**

राष्ट्रीय आवास बैंक उस सफल बोलीदाता को संविदा प्रदान करेगा जिसके प्रस्ताव काफी हद तक अनुकूल निर्धारित किए गये हैं एवं उपरोक्त उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार सबसे अधिक उत्तरदायी बोलियों के तौर पर निर्धारित किये गये हैं।

### **4.6.2 किसी अथवा सभी बोली (यों) को स्वीकार करना/अस्वीकार करना**

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास संविदा प्रदान करने से पूर्व किसी समय पर प्रभावित बोलीदाता अथवा बोलीदाताओं को किसी प्रकार के प्रति खर्च अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक की कार्रवाई के आधार पर प्रभावित बोलीदाता अथवा बोलीदाताओं को सूचित करने के किसी दायित्व के बिना किसी बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने एवं निविदा/सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को रद्द करने, सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

### **4.6.3 संविदा प्रदान करने की सूचना**

वैधता अवधि की समाप्ति से पूर्व राष्ट्रीय आवास बैंक सफल बोलीदाता को लिखित में अथवा फैक्स अथवा ईमेल द्वारा सूचित करेगा कि उसके प्रस्ताव/बोली स्वीकार कर ली गयी है। यदि निविदा/सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है तो राष्ट्रीय आवास बैंक बोलीदाताओं से बोलियों की अवधि की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। संविदा प्रदान करने की सूचना से संविदा की शुरुआत होगी।

### **4.6.4 कार्य संविदा एवं गोपनीयता करार**

सफल बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ कार्य प्रदान करने का पत्र जारी होने की तिथि के भीतर अथवा ऐसी बढ़ाई गयी अवधि जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिश्चित करे, के भीतर सेवा स्तरीय करार (एसएलए) एवं गोपनीयता सह गैर विगोपन करार (एनडीए) पर हस्ताक्षर करेगा। इस आरएफपी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप इन करारों के निष्पादन के संबंध में सभी व्यय, स्टॉप ड्यूटी एवं अन्य शुल्क/व्यय सफल बोलीदाता वहन करेगा। मंडल के संकल्प अथवा वकालतनामा की ऐसी प्रति भी प्रस्तुत की जाये जो यह दर्शाती हो कि हस्ताक्षरकर्ता स्वीकृति पत्र, संविदा एवं गैर विगोपन करार पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है।

#### 4.6.5 निर्णीत हर्जाना

यदि सफल बोलीदाता संविदा की अंतिम दौर की बातचीत के दौरान सहमत विनिर्देशों एवं शर्तों के अनुरूप सम्यक कार्य-निष्पादन करने पूरा करने में असफल रहता है तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास कार्य-निष्पादन न करने/देरी से कार्य निष्पादन के लिए प्रति पखवाड़े में संविदा की मूल्य का दस प्रतिशत तक निर्णीत हर्जाना की रीति से हर्जाना वसूल करने का अधिकार सुरक्षित है।

#### 4.7 धोखाधड़ी व कपटपूर्ण आचरण

**4.7.1** बोलीदाता एवं उसके संबंधित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, एजेंट एवं सलाहकारगण चयन प्रक्रिया के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करेंगे। इस आरएफपी में अंतर्विष्ट कुछ भी प्रतिकूल होते हुए भी राष्ट्रीय आवास बैंक बोलीदाता के प्रति किसी भी रीति चाहे जो भी हो, में भागी हुए बिना ऐसी बोली को अस्वीकार कर देगा यदि वह अवधारित करता है कि बोलीदाता चयन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष तौर पर अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर अथवा किसी एजेंट के माध्यम से कपटपूर्ण आचरण, धोखाधड़ीपूर्ण आचरण, बलपूर्वक आचरण, अवांछित आचरण अथवा प्रतिबंधात्मक आचरण (सामूहिक रूप से 'निषिद्ध आचरण') में संलग्न है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आवास बैंक अपने किसी अन्य अधिकारों एवं उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति ईएमडी अथवा पीबीजी जब्त कर लेगा एवं अपना बना लेगा जैसे ऐसे बोलीदाता की बोली के प्रतिफल एवं मूल्यांकन सहित आरएफपी के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय आवास बैंक का समय, लागत एवं प्रयास के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को देय वास्तविक पूर्व-अनुमानित क्षतिपूर्ति एवं हर्जाने पर आपसी सहमति से सहमत हो।

**4.7.2** उपरोक्त खंड के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारों एवं वे अधिकार एवं उपाय जो एलओए अथवा करार के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक के पास हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति यदि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा यह पाया जाता है कि बोलीदाता अथवा उसके कर्मचारी/गण चयन प्रक्रिया में अथवा संविदा प्रदान करने का पत्र जारी करने अथवा करार के निष्पादन के पश्चात प्रत्यक्ष तौर पर अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर अथवा किसी एजेंट के माध्यम से कपटपूर्ण आचरण, धोखाधड़ीपूर्ण आचरण, बलपूर्वक आचरण, अवांछित आचरण अथवा प्रतिबंधात्मक आचरण (सामूहिक रूप से 'निषिद्ध आचरण') में संलग्न/लिप्त है तो ऐसे बोलीदाता अथवा फर्म उस तिथि से पांच वर्षों की अवधि के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किसी निविदा अथवा आरएफपी में भाग लेने का पात्र नहीं होगा जिस तिथि को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा यथास्थिति बोलीदाता अथवा उसके कर्मचारी/गण चयन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष तौर पर अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर अथवा किसी एजेंट के माध्यम से यथास्थिति कपटपूर्ण आचरण, धोखाधड़ीपूर्ण आचरण, बलपूर्वक आचरण, अवांछित आचरण अथवा प्रतिबंधात्मक आचरण में संलग्न/लिप्त पाया गया हो।

**4.7.3** इस भाग के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित निबंधनों का इसके पश्चात क्रमशः उनको निर्दिष्ट अर्थ होगा:

- क.** 'कपटपूर्ण आचरण' से (i) चयन प्रक्रिया से जुड़े किसी व्यक्ति की कार्रवाई को प्रभावित करने में किसी की मूल्य की (संदेहों का परिवर्जन करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अधिकारी जो किसी भी रीति में चयन प्रक्रिया अथवा कार्य प्रदान करने का पत्र जारी करना (एलओआई) से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा है अथवा शामिल किया गया हो अथवा करार से संबंधित अथवा तत्संबंधी निष्पादन से पूर्व अथवा पश्चात से उत्पन्न होने वाले विषयों का निराकरण किया हो, को प्रत्यक्ष तौर पर अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर ऐसी तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय पर जिस तिथि को ऐसा अधिकारी त्यागपत्र दे देता है अथवा सेवा निवृत्त हो जाता है अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक की सेवा में अन्यथा अवसान हो जाता है, को चयन प्रक्रिया से जुड़े व्यक्ति का कार्य प्रभावित करना माना जाएगा, अथवा (ii) इसके साथ उपबंधित के सिवाय किसी विषय में काम देना जो भी हो यथास्थिति चाहे चयन प्रक्रिया के दौरान हो अथवा एलओए जारी करने के पश्चात हो अथवा करार के निष्पादन के पश्चात हो परियोजना अथवा कार्य प्रदान करना अथवा करार के संबंध में किसी विषय से संबंधित कोई व्यक्ति जो किसी भी समय पर संबंधित परियोजना के किसी मामले में राष्ट्रीय आवास बैंक का विधिक, वित्तीय अथवा तकनीकी परामर्शदाता/सलाहकार रहो हो अथवा हो, को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर किसी भी रीति में चाहे जो भी हो, रोजगार अथवा नियुक्त करने अथवा काम देने की पेशकश करना) पेश करना, देना, प्राप्त करना अथवा याचना करना अभिप्रेत है।
- ख.** 'धोखाधड़ीपूर्ण आचरण' से चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना अथवा छोड़ना अथवा अपूर्ण तथ्यों का विगोपन करना अभिप्रेत है।
- ग.** 'बलपूर्वक आचरण' से चयन प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की भागीदारी अथवा कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा संपत्ति को प्रत्यक्ष तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर विरूपित करने अथवा क्षति पहुंचाने के लिए विरूपित करना अथवा क्षति पहुंचाना अथवा धमकी देना अभिप्रेत है।
- घ.** 'अवांछित आचरण' से (i) चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने में अनुयाचना करना, पक्ष जुटाना अथवा किसी भी रीति में प्रभावित करना अथवा प्रभावित करने का प्रयास करने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक से जुड़े अथवा कार्यरत अथवा संबद्ध अथवा (ii) हितों के टकराव वाले किसी व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना अभिप्रेत है, एवं
- ङ.** 'प्रतिबंधात्मक आचरण' से चयन प्रक्रिया में पूर्ण एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बाधित करने अथवा चालाकी से काम निकालने के उद्देश्य के साथ आवेदकों के बीच उत्पादक संघ का गठन करना अथवा किसी समझ अथवा व्यवस्था पर पहुंचना।

## 4.8 हितों का टकराव

- 4.8.1** बोलीदाता ऐसे हितों का टकराव नहीं रखेगा जो चयन प्रक्रिया अथवा सहायता सेवा (हितों का टकराव) को प्रभावित करते हों। हितों का टकराव रखने वाले बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अयोग्य घोषित किए जाने की स्थिति में राष्ट्रीय आवास बैंक किसी अन्य अधिकार अथवा उपाय जो राष्ट्रीय आवास बैंक को इसके पश्चात अथवा अन्यथा उपलब्ध हो, को प्रभावित किए बिना ईएमडी अथवा पीबीजी यदि उपलब्ध हो, जब्त कर लेगा एवं अपना बना लेगा जैसे ऐसे बोलीदाता की बोली के प्रस्ताव के प्रतिफल सहित अन्य बातों

के साथ-साथ राष्ट्रीय आवास बैंक का समय, लागत एवं प्रयास के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को देय वास्तविक पूर्व-अनुमानित क्षतिपूर्ति एवं हर्जाने पर आपसी सहमति से सहमत हो।

**4.8.2** राष्ट्रीय आवास बैंक की अपेक्षा है कि बोलीदाता पेशेवर, उद्देश्यपरक एवं पक्षपात रहित सूचना प्रदान करे एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के हितों को हमेशा सर्वोपरि रखे, अन्य कार्यों अथवा अपने स्वयं के हितों के साथ टकराव से बचे एवं भविष्य में बिना किसी प्रतिफल के कार्य करे। बोलीदाता ऐसे किसी कार्य को स्वीकार नहीं करेगा अथवा ऐसे किसी काम में शामिल नहीं होगा जिनका उसके अन्य ग्राहकों के पूर्व के अथवा वर्तमान दायित्वों के साथ टकराव हो अथवा जो उसे राष्ट्रीय आवास बैंक के सर्वोपरि हितों में कार्य का निष्पादन करने में असमर्थ न होने की स्थिति में खड़ा करे।

**4.8.3** उपरोक्त की व्यापकता को सीमित किए बिना बोलीदाता चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले हितों के टकराव वाला माना जाएगा यदि:

**क.** ऐसे बोलीदाता का किसी दूसरे बोलीदाता के साथ प्रत्यक्ष तौर पर अथवा सामान्य तीसरे पक्ष के माध्यम से संबंध हो जो उन्हें एक दूसरे की सूचना के बारे में पहुंच रखने अथवा एक अथवा एक अथवा दूसरे बोलीदाता अथवा बोलीदाता अथवा बोलीदाता के किसी सहयोगी जो वर्तमान प्रस्तावों पर बोलीदाता को कोई सूचना देते हों अथवा उनसे संबंधित सहयोगी फर्म हो, प्रभावित करने की स्थिति में रखे।

**ख.** जहां बोलीदाता (उसके कर्मी एवं अन्य सदस्य यदि कोई हो सहित) एवं ऐसे बोलीदाता द्वारा नियंत्रित कोई सहायक कंपनी अथवा संस्था अथवा नियंत्रित करने वाले सामान्य शेयरधारकों के बीच टकराव हो। इस खास कार्य के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सहायता सेवा उपलब्ध कराते समय बोलीदाताओं के कर्तव्य प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेंगे। बोलीदाता ऐसे कोई कार्य नहीं लेगा जिससे इसकी प्रकृति के परिणामस्वरूप वर्तमान कार्य के साथ टकराव हो।

**ग.** ऐसी स्थिति में जब बोलीदाता, इसके सहयोगी अथवा संबद्ध लोग किसी ऐसी संस्था में लेखा परीक्षक अथवा वित्तीय सलाहकार हैं जिसके लिए मूल्यांकन किया जा रहा है तो वे उनके ध्यान में आने पर लेकिन कोई मामला ऐसे प्रस्तावों की प्राप्ति से 7 (सात) दिनों से अधिक न हो, किसी संभावित टकराव होने पर यथाशीघ्र राष्ट्रीय आवास बैंक को विगोपन करेगा एवं विगोपन के इस दायित्व का किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर यह हितों का टकराव माना जाएगा। इस खंड के अधीन अधिसूचित किये जाने पर राष्ट्रीय आवास बैंक यह तय करेगा कि क्या वह इस नियुक्ति अथवा अन्यथा को समाप्त करना चाहता है एवं 15 (पन्द्रह) दिनों से अनधिक अवधि के भीतर बोलीदाता को अपने निर्णय से अवगत कराएगा।

#### 4.9 वाणिज्यिक निबंधन शर्तें

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे इस परियोजना की निम्नलिखित वाणिज्यिक निबंधन व शर्तों को ध्यान में रखें।

##### 4.9.1 कीमत

**क.** बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमतों में सभी प्रकार की लागत शामिल हो।

**ख.** कीमत एक वर्ष की पूरी संविदा अवधि के लिए वैध हो।

**ग.** कीमत में वाणिज्यिक बोली के अनुसार जीएसटी ड्यूटी, उद्ग्रहण प्रभार, ढुलाई, बीमा सहित सभी कर शामिल हों।

- घ. बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत बोलीदाता के संविदा के कार्य-निष्पादन के दौरान यानी एक वर्ष की अवधि और बढ़ाई गयी अवधि, यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपेक्षित हो, के दौरान नियत रहेगी।
- ड. समायोज्य कीमत वाली कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली गो गैर-उत्तरदायी माना जाएगा एवं ऐसी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- च. कोई भी भुगतान पीबीजी प्रस्तुत करने एवं भुगतान की निम्नलिखित शर्तों के अनुसार सेवा स्तरीय करार ('एसएलए') एवं गैर विगोपन करार (एनडीए) पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही जारी किया जाएगा।

#### 4.9.2 भुगतान की अनुसूची 4 अनुच्छेद).5 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप (

रा.आ. बैंक की संतुष्टि पर मूल्यांकन रिपोर्ट के पूरा होने एवं प्रस्तुतीकरण पर चयनित बोलीदाता को स्रोत पर प्रयोज्य करों की कटौती के बाद आरएफपी में उद्धृत सहमत शुल्क का भुगतान बैंक द्वारा जारी किया जाएगा बोलीदाता को कोई आंशिक भुगतान/ अग्रिम का भुगतान नहीं किया जाएगा।

संविदा के समापन के मामले में भुगतान: इस आरएफपी के निबंधनों के अधीन यदि संविदा समाप्त की जाती है तो सेवाओं का भुगतान लागू दंड एवं टीडीएस/अन्य करों की कटौती के पश्चात प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के लिए समानुपातिक आधार पर किया जाएगा।

अन्य प्रारूप एवं अनुलग्नक हेतु बैंक की वेबसाइट [www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) पर जाएं।

\*\*\*\*\*

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आर एफ पी का अंग्रेजी संस्करण ही अंतिम एवं मान्य होगा।